(61)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म०प्र०ग्वालियर कैम्प,सागर

R 3760 I-16

श्री देव वृन्दावन बाग न्यास,सागर
द्वारा- महंत नरहरिदास चेला स्व० श्याम बिहारी दास
निवासी वृन्दावन बाग गोपालगंज,सागर == आवेदक

-: विरुद्ध :-

१- रामख्याल वल्द नामालूम
निवासी प्रताप वार्ड,खुरई जिला सागर
२- दिनेश सिंह वल्द बाबूलाल ठाकुर
३- राजेश सिंह वल्द बाबूलाल ठाकुर
साकिन प्रताप वार्ड खुरई जिला सागर
४- श्यामलाल प्रजापति वल्द नामालूम
साकिन प्रताप वार्ड,खुरई जिला सागर == == अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता

आवेदक न्यायालय श्रीमान अरुण कुमार सिंह अनुविभागीय अधिकारी,खुरई जिला सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक २०।४।१६ पक्षकार श्याम बिहारी दास वि० रामख्याल वगैरह मे राजस्व प्रकरण क्रमांक २६७-बी।१२१ वर्ष २०१४-१५ खुरई से परिवेदित होकर निम्नलिखित विधि एवं तथ्य पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है -

१- यहकि, महंत श्याम बिहारी दास की मृत्यु हो गयी है,उनकी मृत्यु दिनांक २।५।१६ को हो गयी है,उनका चेला महंत आवेदक हो गया है,वह महंत के पद पर दिनांक-30-8-16 को आदेश से नियुक्त है। पूर्व महंत के स्व० के कारण यह रिवीजन प्रस्तुत कर रहा है।

२- यहकि, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी,खुरई का आदेश विधि विरुद्ध है,उन्हें धारा ५ का आवेदन निरस्त नही

-२

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3760—एक/2016 जिला—सागर

श्री देव बृन्दावन बाग न्यास विरूद्ध रामदयाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खुरई, जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 267/बी—121/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 20—04—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11—09—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	